पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, पर विशेष रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। इन विशेष रूप से अलग रखे गए जिलों के लिए सीमांत सूचकांक 500 अर्थात राष्ट्रीय औसत का एक तिहाई रखा गया था। (ii) समूह ने "बिना उद्योग वाले जिले" से संबंधित पूर्व अध्ययन समूह की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह सिफारिश की कि बिना उद्योग वाले जिलों को, उनके मिश्रित सूचकांक पर विचार किए बिना कर में छूट देने के उददेश्य से पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

समीक्षा अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में 53 जिलों की सिफारिश की। यह निर्णय लिया गया कि इन 53 जिलों को धारा 80-1(क) के अंतर्गत कर से पूर्ण छूट दी जाए। आगे यह भी महसूस किया गया कि 251—500 के बीच भारित सूचकांक में आने वाले 70 जिलों को भी अल्पावधि अर्थात् 3 वर्ष के अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों अर्थात् 53 जिलों को पूर्व श्रेणी को श्रेणी "क" जिलों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया। इन जिलों को 5 मूल्यांकन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लाभ की शत-प्रतिशत कटौती और 5 वर्षों की बकाया अवधि के लिए 25% (कम्पनियों के मामले में 30%) की अनुमति दी गई थी। श्रेणी "ख" 70 श्रेणी "ख" जिले अर्थात् 251—500 के बीच मिश्रित भारित सूचकांक वाले जिलों के मामले में 3 मूल्यांकन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लाभ की शत-प्रतिशत कटौती और बकाया 5 वर्षों की अवधि के लिए 25% (कम्पनियों के मामले में 30%) की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था।

मध्य प्रदेश के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

1630. **श्री राघवजी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे गांवों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जिन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं गया है,

(ख) सड़क विहीन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है, और;

(ग) मध्य प्रदेश राज्य के सभी गांवों को पक्की सड़कों से कब तक जोड़ दिया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना राज्य का विषय है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) में 1000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के अन्त तक पक्की सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

Drinking water in Kandla free trade zone

1631. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of drinking water in Kandla Free Trade Zone for a long time;

(b) whether this matter has also been taken up by the Government of Gujarat with Union Government; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard alongwith further programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Central assistance is provided to supplement the efforts of the State Government for providing drinking water to all the habitations of the State. Government of Gujarat has informed that Rs. 97.87 lakh has been sanctioned for augmentation of water supply to Kandla Free Trade Zone.

Unemployment among women folk

1632. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI SHIV CHARAN SINGH:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any survey has been made to ascertain the degree of unemployment among the rural women folk, both tribal and non-tribal area of each of States, during the preceding five years or so;

(b) if so, the result thereof and action taken thereon; and